"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 55] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 फरवरी 2016— माघ 27, शक 1937

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–4/2016/वा. कर (आब.)/पांच (03).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप–धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) तथा उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 (यथासंशोधित) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्

संशोधन

1. उक्त नियमों में :–

(1) नियम 7 के उप–नियम (1) में शब्द समूह **"चयन की सूचना के"** के पश्चात् शब्द **" एक"** के स्थान पर शब्द **"दो"** प्रतिस्थापित किया जावे।

(2) नियम 9 के उप–नियम (ख) में शब्द समूह **"चयन की सूचना के"** के पश्चात् शब्द **"एक"** के स्थान पर शब्द **"दो"** प्रतिस्थापित किया जावे।

(3) नियम 11 के उप–नियम (ख–1) में शब्द समूह **"चयन की सूचना के"** के पश्चात् शब्द **"एक"** के स्थान पर शब्द **"दो"** प्रतिस्थापित किया जावे।

(4) नियम 11 के उप–नियम (ख–2) में शब्द समूह **"चयन की सूचना के"** के पश्चात् शब्द **"एक"** के स्थान पर शब्द **"दो"** प्रतिस्थापित किया जावे।

(5) नियम 13 में शब्द समूह **"चयन की सूचना से"** के पश्चात् शब्द **"एक"** के स्थान पर शब्द **"दो"** प्रतिस्थापित किया जावे।

2. उक्त संशोधन दिनांक 10—02—2016 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 10—4/2016/वा. कर (आब.)/पांच (03).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10—4/2016/वा. कर (आब.)/पांच (03), दिनांक 10 फरवरी, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 10th February 2016

NOTIFICATION

No. F 10-4/2016/CT (Ex.)/V (03).— In exercise of the powers conferred by Clause (d), (e), (f), (g) & (h) of Sub-Section (2) read with the proviso to Sub-Section (3) of Section-62 of the Chhattisgarh Excise Act 1915 (No. II of 1915) the State Government hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Excise Settlement of Licenses for retail sale of Country/Foreign Liquor Rule 2002 (as amended)

AMENDMENT

1. In above rules:-

(1) The word "one" to be replaced by word "two" after words, "information of selection" in Sub Rule (1) of Rule 7.

(2) The word "one" to be replaced by word "two" after words, "information of selection" in Sub Rule (b) of Rule 9.

(3) The word "one" to be replaced by word "two" after words, "information of selection" in Sub Rule (b-1) of Rule 11.

(4) The word "one" to be replaced by word "two" after words, "information of selection" in Sub Rule (b-2) of Rule 11.

(5) The word "one" to be replaced by word "two" after words, " from the information of selection" of Rule 13.

2. The above amendment shall be applicable from 10-02-2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–4/2016/वा. कर (आब.)/पांच (04).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप–धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) तथा उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 (यथासंशोधित) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्

संशोधन

1. उक्त नियमों में :–

(1) नियम 14(ग) के स्थान पर निम्नलिखित नियम 14(ग) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :–

नियम 14(ग) :– दिनांक 01–04–2016 से देशी/विदेशी मदिरा के लिये प्रदाय पर ड्यूटी की दरें नीचे सारणी में दर्शाये अनुसार होगी :–

क्रमांक	मदिरा का प्रकार	वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारित ड्यूटी दर
1	2	3
(1)	**देशी मदिरा** :– मसाला 25.0 U.P. प्लेन 50.0 U.P. रासी 60.0 U.P.	रुपये 100/– प्रति प्रूफलीटर

(2)	**विदेशी मदिरा (स्प्रिट)** :– विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2016–17 में विदेशी मदिरा की **लैंडिग प्राईज प्रति पेटी** पर निम्नानुसार होगीः–		
	(i)	रुपये 800/– तक	रुपये 105/– प्रति प्रूफलीटर
	(ii)	रुपये 801/–से 1100/– तक	रुपये 120/– प्रति प्रूफलीटर
	(iii)	रुपये 1101/–से 1600/– तक	रुपये 140/– प्रति प्रूफलीटर
	(iv)	रुपये 1601/–से 2500/– तक	रुपये 170/– प्रति प्रूफलीटर
	(v)	रुपये 2501/–से 4000 तक	रुपये 200/– प्रति प्रूफलीटर
	(vi)	रुपये 4001/– से 10000 तक	रुपये 230/– प्रति प्रूफलीटर
	(vii)	रुपये 10001/– और उससे अधिक	रुपये 250/– प्रति प्रूफलीटर
(3)	**बीयर (माल्ट मदिरा)**		रुपये 25/– प्रति बल्क लीटर
(4)	(क)	विदेशी मदिरा (स्प्रिट) सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनकी संस्थाओं/ क्लबों के लिए	रुपये 30/– प्रति प्रूफ लीटर
	(ख)	बीयर (माल्ट मदिरा)	रुपये 8/– प्रति बल्क लीटर

स्पष्टीकरणः– 1. विदेशी मदिरा (स्प्रिट) में सम्मिलित है, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वाईन, लिकर्स, कार्डियल्स, बिटर्स, मिक्चर्स तथा अन्य विनिर्मितियाँ, जो स्प्रिरिट युक्त हों।

2. माल्ट मदिरा में सम्मिलित है, बीयर, स्टाउट, एल, पोर्टर, साईडर इत्यादि।

न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं ड्यूटी राशि का विनियोजन :–

(1) विदेशी मदिरा स्प्रिट के लिए माहवार निर्धारित प्रत्याभूत मात्रा पर औसत ड्यूटी राशि की गणना रूपये 125/– प्रति प्रूफ लीटर के आधार पर किया गया है। औसत ड्यूटी राशि की गणना निम्नानुसार किया गया है :–

क्र.	रेंज का नाम	लैंडिंग प्राइज का स्लेब	ड्यूटी दर	मासिक प्रत्याभूत मात्रा में रेंज वाइस कुल प्रतिशत	ड्यूटी राशि
1	2	3	4	5	6
1	निम्न (चीप)	रुपये 800/– तक	105/–	54.8%	5754/–
2	मध्यम	रुपये 801/–से 1100/– तक	120/–	7.9%	948/–
3	उच्च	रुपये 1101/–से 1600/– तक	140/–	22.4%	3136/–
4	उच्चतर	रुपये 1601/–से 2500/– तक	170/–	11.8%	2006/–
5	उच्चतम	रुपये 2501/–से 4000 तक	200/–	2.1%	420/–
6	प्रीमियम	रुपये 4001/– से 10000 तक	230/–	0.7%	161/–
7	उच्च प्रीमियम	रुपये 10001/– और उससे अधिक	250/–	0.3%	75/–
				100%	**12,500/–**

टीप :– ड्यूटी स्लेब की गणना छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन के लैंडिंग प्राइज पर किया जावेगा।

(2) "इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माह के लिए निर्धारित की गई संपूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान एवं निर्धारित की गई सम्पूर्ण ड्यूटी राशि उपरोक्त सारिणी अनुसार जमा किया जाना अनिवार्य होगा। परन्तु किसी भी माह के लिए विदेशी मदिरा स्प्रिट की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में से

उपरोक्त सारिणी अनुसार जमा करने से शेष रही मात्रा के लिए स्लेबवार निर्धारित ड्यूटी दर अनुसार शास्ति के लिए अनुज्ञप्तिधारी दायी होगा।''

'' परन्तु कम ड्यूटी दर वाली मदिरा की मात्रा का समायोजन, अधिक ड्यूटी दर वाली मदिरा की मात्रा से, ड्यूटी की अन्तर राशि का पृथकतः भुगतान पश्चात्, किया जा सकेगा।'' इसी अनुक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों में अधिक ड्यूटी दर वाली मदिरा की मात्रा का समायोजन, अधिक ड्यूटी दर वाली मदिरा की निर्धारित मात्रा की जमा ड्यूटी राशि पर, कम ड्यूटी दरों वाली मदिरा की मात्रा से आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा। ''

(3) नियम 23 के उप–नियम (1) के खण्ड (च) में शब्द समूह **''रूपये 90/–''** के स्थान पर शब्द समूह **'' रूपये 100/–''** तथा शब्द समूह **''रूपये 22/–''** के स्थान पर शब्द समूह **'' रूपये 25/–''** प्रतिस्थापित किया जावे।

2. उक्त संशोधन दिनांक 01–04–2016 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 10–4/2016/वा. कर (आब.)/पांच (04).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–4/2016/वा. कर (आब.)/पांच (04), दिनांक 10–2–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 10th February 2016

NOTIFICATION

No F 10-4/2016/CT (Ex.)/V (04).— In exercise of the powers conferred by Clause (d), (e), (f), (g) & (h) of Sub-Section (2) read with the proviso to Sub-Section (3) of Section-62 of the Chhattisgarh Excise Act 1915 (No. II of 1915) the State Government hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Excise Settlement of Licenses for retail sale of Country/Foreign Liquor Rule 2002 (as amended)

AMENDMENT

1. In above rules:-

(1) The Rule 14(c) is hereby substituted by following Rule 14(c) :-

Rule 14(c):- The Duty Rates for supply of Country/Foreign Liquor from 01-04-2016 will be as per table given below :-

No.	Type of Liquor		Duty Rates fixed for Year 2016-17
1	2		3
(1)	Country Liquor :- Masala 25.0 U.P. Plain 50.0 U.P. Rasi 60.0 U.P.		Rupees 100/- per Proof Litre.
(2)	**Foreign Liquor (Spirit)** :- The calculation of Duty Rates for Foreign Liquor (Spirit) for the year 2016-17 will be on **Landing Price per Case** as following:-		
	(i)	Upto Rupees 800/-	Rupees 105/- per proof litre
	(ii)	From Rupees 801/- to 1100/-	Rupees 120/- per proof litre
	(iii)	From Rupees 1101/- to 1600/-	Rupees 140/- per proof litre
	(iv)	From Rupees 1601 to 2500/-	Rupees 170/- per proof litre
	(v)	From 2501/- to 4000/-	Rupees 200/- per proof litre
	(vi)	From Rupees 4001/- to 10000/-	Rupees 230/- per proof litre
	(vii)	From Rupees 10001/- and above	Rupees 250/- per proof litre
(3)	Beer (Malt Liquor)		Rupees 25/- per Bulk Litre.
(4)	(a)	Foreign Liquor(Spirit) for organizations/clubs of Army & Paramilitary Forces	Rupees 30/- per Proof Litre.
	(b)	Beer (Malt Liquor)	Rupees 8/- per Bulk Litre.

Explanation:- 1. Foreign Liquor (Spirit) includes Whiskey, Brandy, Rum, Gin, Wine, Liquors, Cardials, Bitters, Mixtures and other manufactures which contains spirit.

2. Malt Liquor includes Beer, Stout, Ale, Porter, Cider etc.

Adjustment of Minimum Guaranteed Quantity and Duty Fees:-

(1) The Average Duty Fees for month-wise Minimum Guaranteed Quantity of Foreign Liquor(Spirit) has been calculated on the basis of Rs 125/- per Proof Litre. The Average Duty Fees has been calculated as given below :-

No.	Name of Range	Slab of Landing Price	Duty Rates	Range wise total percentage in Month-wise Minimum Guaranteed Quantity	Duty Amount
1	2	3	4	5	6
1	Cheap	Upto Rupees 800/-	105/-	54.8%	5754/-
2	Medium	From Rupees 801/- to 1100/-	120/-	7.9%	948/-
3	High	From Rupees 1101/- to 1600/-	140/-	22.4%	3136/-
4	Higher	From Rupees 1601 to 2500/-	170/-	11.8%	2006/-

5	Highest	From 2501/- to 4000/-	200/-	2.1%	420/-
6	Premium	From Rupees 4001/- to 10000/-	230/-	0.7%	161/-
7	High Premium	From Rupees 10001/- and above	250/-	0.3%	75/-
				100%	12500/-

Note:- The calculation of Duty Slab will be done on the basis of landing price of Chhattisgarh State Beverages Corporation.

(2) "Hence the licensee shall be liable to lift the entire Minimum Guaranteed Quantity for the month and to deposit the entire Duty Amount fixed as per the above table. But, on the failure of deposition of Duty Amount of the Minimum Guaranteed Quantity according to the above table, the licensee shall be liable for payment of penalty of the slab-wise Duty Amount for the remaining quantity".

"But the quantity of Liquor of lower Duty Rate can be adjusted with the quantity of Liquor of Higher Duty Rate after deposition of difference amount between the two Duty Rates separately". In the same way in foriegn Liquor shop situated in rural areas, quantity of Liquor of higher duty rate can be adjusted with quantity of Liquor of lower Duty Rate after deposition of Duty of Higher Duty Rate liquor of specified quantity."

(3) The words "Rupees 90/-" to be replaced by words "Rupees 100/-" and The words "Rupees 22/-" to be replaced by words "Rupees 25/-" in Section (f) of Sub-Rule (1) of Rule 23.

2. The above amendment shall be applicable from 01-04-2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.